झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–304 / 2019

चिंतामणि कर्मे ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम

1. सचिव, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, राँची
2. उपायुक्त, देवघर
3. कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
4. निबंधक, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
5. प्रधानाध्यापक, बैद्यनाथ कमल कुमारी संस्कृत कॉलेज, देवघर
6. महालेखाकार (हक एवं लेखा), झारखंड, राँची

..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री रंजन कुमार सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सीनियर एस0सी0आई0–I के ए0सी0

बिनोवा भावे विश्वविद्यालय के लिए : श्री अशोक कु0 सिंह, अधिवक्ता

सुश्री अमृता कुमारी, अधिवक्ता

03 / 28.09.2019 याचिकाकर्ता और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 5983 / 2017 की पुनःस्थापन की प्रार्थना को सुना, जो दिनांक 26.09.2018 के लंबित आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता कि अनजाने में उस तारीख को माममले कीसुनवाई में भाग नहीं लिया जा सका क्योंकि रिट याचिकाओं के बैच थे जिसकी सुनवाई एक साथ होनी थी। इस न्यायालय के कार्यालय से सूचना प्राप्त होने के बाद ही, विद्वान अधिवक्ता को पता चला कि

न्यायायलय के आदेश का पालन न करने के कारण याचिका खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के दावा का मुकदमा लड़ रहा है और वह शेष त्रुटियों को समय सीमा के अंदर दूर कर देगा, अगर रिट याचिका को पुनःस्थापित किया जाता है। याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगा, यदि रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, हालांकि वह गलती पर नहीं है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं।

आग्रह किए गए आधारों और सबमिशनों पर विचार करने के बाद, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 5983/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाए। रिट याचिका में बचे हुए त्रुटियों को दशहरा छुट्टी के बाद ऑफिस खुलने के दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दूर कर दिया जाना चाहिए, कार्यालय जाँच करे तथा उसके बाद उपयुक्त शीर्षक के तहत सूचीबद्ध करे।

तद्नुसार, यह याचिका निपटाई जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)